

BNSS-217, COURT राज्य एवं केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना किन अपराधों पर डायरेक्ट संज्ञान नहीं लेगा जानिए

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) की धारा 217(1) के अनुसार, कुछ विशिष्ट अपराधों के लिए Court में मामला दर्ज करने से पहले केंद्र सरकार या राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक है। वे निम्न अपराध हैं जानिए-



युवा प्रदेश समाचार पत्र
- लेखक बी.आर.
अहिरवार (एडवोकेट एवं
विधिक सलाहकार
होशंगाबाद) 9827737665

1. राज्य के विरुद्ध अपराध (Bharatiya Nyaya Sanhita के अध्याय 7 के तहत)
2. धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान आदि के आधार पर शत्रुता उत्पन्न करना (BNS की धारा 196)
3. विद्वेषपूर्ण भावना से धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान (BNS की धारा 299)
4. लोक रिष्ठि करने वाले कारक (BNS की धारा 353)
5. भारत के बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण (BNS की धारा 47)

इन मामलों में पुलिस को भी विशेष अधिकार दिए गए हैं-

- **सरकारी मंजूरी**- COURT में मामला दर्ज करने से पहले केंद्र सरकार या राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक है।

- **पुलिश संज्ञान**- इन अपराधों की जांच के लिए पुलिस अधिकारी का पद निरीक्षक (Inspector) से नीचे नहीं होना चाहिए। सरल शब्दों में, यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कुछ गंभीर अपराधों के मामलों में सरकार की अनुमति के बाद ही अदालत में कार्यवाही शुरू की जा सके और जांच उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा की जाए।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बीकानेर में किया 103 अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन राज्यपाल श्री पटेल वर्चुअली हुए शामिल

भोपाल। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विरासत और विकास के प्रतीक देश के पुनर्विकसित 103 अमृत रेलवे स्टेशनों का राजस्थान के बीकानेर में उद्घाटन किया। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल राजभवन से बीकानेर में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। समारोह में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 26 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव श्री के.सी. गुप्ता, राज्यपाल के अपर सचिव श्री उमा



शंकर भार्गव, जनजाति प्रकोष्ठ जमुना भिड़े सहित राजभवन के राजभवन की सदस्य सचिव श्रीमती अधिकारी गण उपस्थित थे।

ऑपरेशन सिंदूर भारत की नीति, नीयत और निर्णायक शक्ति की त्रिवेणी: राज्यमंत्री श्रीमती गौर

भोपाल। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं, यह भारत की नीति, नीयत और निर्णायक शक्ति की त्रिवेणी है। राज्यमंत्री श्रीमती गौर गुरुवार को इन्द्रपुरी गोविन्दपुरा भोपाल में भारतीय सेना के सम्मान में आयोजित सिंदूर यात्रा के शुभारंभ अवसर पर मातृशक्ति को संबोधित कर रही थी। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि मिट्टी में मिल गये हैं वो, जिसने हमको ललकारा है, भारत ने गद्दारों को फिर घर में घुसकर मारा है।

उन्होंने कहा कि हमें गर्व है अपने देश की सेना पर, अभिमान है सेना के शौर्य और पराक्रम पर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने पूरे विश्व को दिखा दिया कि भारत की शक्ति, भारत की ताकत, भारत की क्षमता को कोई भी कम समझने की भूल नहीं करें। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि आज हम सब ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता का उत्सव मनाने जुटे हैं। हमारी जाबाज सेना का यह एक ऐसा अभियान था, जिसने भारत की शक्ति, रणनीति और अदम्य इच्छाशक्ति को पूरी दुनिया के सामने रखा।

BNSS की तीन धाराएं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं जानिए

किसी संज्ञेय (Cognizable) अपराध की FIR दर्ज करवाने के लिए आम नागरिकों (Common citizens) को थाने से लेकर SP, Police Commissioner आदि के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन कई बार इन कोशिशों के बाद भी उनकी FIR दर्ज नहीं हो पाती है। लेकिन न्याय (Justice) सभी को मिलता है क्योंकि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका (Independent judiciary) हैं आज हम आपको कानून की उन तीन धाराओं के बारे में जानकारी देंगे जिसकी जानकारी आम नागरिकों (Common citizens) को होना अति-आवश्यक (Over-the necessary) है जानिए।

1. BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 की धारा 175(3) के अनुसार अगर अपराध संज्ञेय हैं और पुलिस अधिकारी FIR दर्ज नहीं करते हैं तब पीड़ित व्यक्ति डायरेक्ट Court में Judicial magistrate के समक्ष परिवाद दायर कर सकता है। प्राथमिक परीक्षण के बाद कोर्ट, पुलिस को सख्त दर्ज करने के लिए Order करेगा और तब पुलिस आनाकानी नहीं कर पाएगी।

2. BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 की धारा 210 के अनुसार Magistrate अपराध का संज्ञान लेगा एवं संज्ञेय अपराध की स्थिति में स्वयं Inquiry, Investigation कर सकता है या किसी Special officer को नियुक्त कर सकता है या मजिस्ट्रेट Police officer से मामले की रिपोर्ट लेगा।

3. BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 की धारा 227 के अनुसार Magistrate Order जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है अर्थात शिकायत सही पाई गई है तब मजिस्ट्रेट अपराध की FIR दर्ज करवा सकता है, आरोपी को समन, वारंट जारी कर सकता है एवं आरोपी की गिरफ्तारी करवा सकता है। सामान्य शब्दों में कहे तो BNSS की ये तीन धाराएं आम लोगों को वर्तमान समय में जानना आवश्यक है क्योंकि कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारी द्वारा बहुत से संज्ञेय मामलों में पीड़ित व्यक्ति की FIR तक दर्ज नहीं की जाती हैं।
- **लेखक बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)**

मुख्यमंत्री डॉ. यादव श्री अनंत नारायण मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित हुए

मुख्यमंत्री पोरवाल समाज द्वारा आयोजित भजन संध्या में हुए शामिल



भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन उज्जैन प्रवास के दौरान यादव गोला मंडी स्थित श्री अनंत नारायण मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री अनंत नारायण भगवान का पूजन अर्चन किया और भगवान से देश प्रदेश की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का श्री अनंत नारायण मंदिर ट्रस्ट की ओर से स्वागत किया गया। इसके पश्चात् मुख्यमंत्री डॉ. यादव पोरवाल समाज द्वारा आयोजित भजन संध्या में शामिल हुए। भजन गायिका श्रीमती प्रियंका गुप्ता ने भजनों की सुमधुर प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया।

13 मई से 23 मई तक देशभर में BJP निकालेगी तिरंगा यात्रा



पाकिस्तान मा घुस के मारेस,
मंजूर हे ऐखर खुसी जता।
लेकिन पुलवामा, पहलगाम के,
आतंकी कहां छुपे हे बता।।
आतंकी खोजो यात्रा निकाल के,
तोर मनखे ला भेज दे ओती।
देसभक्ति के काम ये होही,
डंका बजही तोर चारो कोती।।

लक्ष्मी नारायण कुम्भकार सचेत दुर्ग (छ0ग0)

SDPI की बैठक संपन्न



भोपाल। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आफ इंडिया मध्यप्रदेश की कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रदेश कार्यालय भोपाल में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एडवोकेट विद्यराज मालवीय ने की एवं प्रदेश प्रभारी डॉ निजामुद्दीन खान विषेश अतिथि थे। बैठक में देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, पार्टी की आगामी रणनीति, पार्टी का संगठनात्मक ढांचा तथा पिछली बैठक में पारित प्रस्ताव की समीक्षा की

गई। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष इरफानुलहक अंसारी व शमशाद अली, प्रदेश सचिव आरिफ खान, प्रदेश मिडिया प्रभारी सलीम अंसारी, श्योपुर जिला अध्यक्ष आदिल खान, इन्दौर जिला अध्यक्ष मोहम्मद जमील, उज्जैन जिला अध्यक्ष सिराजुद्दीन नागौरी, शिवपुरी जिला अध्यक्ष सविता यादव भी मौजूद रहे। बैठक का संचालन डॉ. मुमताज कुरैशी ने किया तथा आभार प्रदेश उपाध्यक्ष इरफानुलहक अंसारी ने व्यक्त किया।

भारत का पवित्र ग्रंथ संविधान है।



भीम कुमार

नगवां, गांवा, गिरिडीह, झारखंड

भारत का पवित्र ग्रंथ संविधान है।

दुनिया का सबसे बड़ा लिखित विधान है।

अनेकता में एकता लोकतंत्र ही इसकी पहचान है।

इसे बनाने में बाबा साहेब का सबसे बड़ा योगदान है।

देश आजाद होने से पहले थी अस्पृश्यता और भेदभाव।

संविधान ने खत्म किया कुरीति को लोगों में बढ़ा सहिष्णुता और सद्भाव है।

समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का दिया संदेश है।

पंथनिरपेक्ष, समाजवादी भारत अपना लोकतांत्रिक देश है।

नीति निर्देशक, मूल कर्तव्य और दिए मूल अधिकार है।

अब राजा बनते नहीं रानी के पेट से।

खत्म हुआ राजतंत्र, अब राजा बनते हैं जनता के वोट से।

बाल श्रम, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा का हुआ अंत है।

स्त्री शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, विधवा विवाह, काम के घंटे का निश्चित प्रबंध है।

यह सभी सुख सुविधा दिया हुआ संविधान का उपहार है।

26 नवंबर है महत्वपूर्ण दिवस, भीम यह भारतीयों का प्रमुख त्यौहार है।

6 सूत्रीय मांग ना पूरा किए जाने पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे कोतमा भालूमाड़ा मुख्य मार्ग पर करेगी प्रदर्शन

कैलाश कुमार - सह संपादक
(युवा प्रदेश)

अनूपपुर - शिवसेना की 6 सूत्रीय मांग ना पूरी किए जाने पर शिवसेना के संभाग प्रमुख पवन पटेल के नेतृत्व में सैंकड़ों शिवसेनियों के द्वारा दिनांक 24/05/25 को दोपहर 11 बजे कोतमा भालूमाड़ा मुख्य मार्ग में धरना, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा-

6 सूत्रीय मांग इस प्रकार से है-

1. कोतमा कदम टोला वार्ड क्रमांक 11 में नाली निर्माण, सड़क निर्माण, धार्मिक पंडाल निर्माण के लिए वन विभाग के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाना।

2. शिवसेना नेता पवन पटेल जी के द्वारा कोतमा नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताएं और जनसुविधाओं के खिलाफ आवाज उठाई थी जिस पर यह इसके जवाब में कोतमा नगर पालिका अध्यक्ष अजय सराफ कोतमा सीएमओ प्रदीप झारिया, उपयंत्री ओमवती तिवारी जी के द्वारा प्रतिशोधात्मक कार्यवाही बिना कोई नोटिस जारी करते हुए उनके बड़े भाई नरबद पटेल के घर का नल कनेक्शन काट दिया गया।

3. कॉलरी प्रबंधन के द्वारा रोड और नाली नहीं बनवाए जाना। 4. कोतमा कदम टोला में आंगनबाड़ी भवन, सामुदायिक भवन,

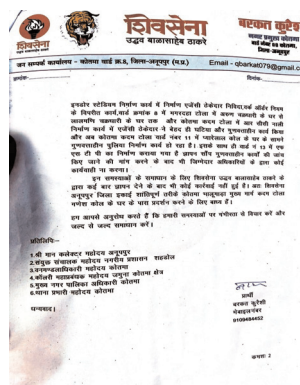


धार्मिक पंडाल ना होना।

5. कोतमा नपा कर्मचारी राजेश मिश्रा के द्वारा दो साल पूर्व कदम टोला निवासी नरबद पटेल से नल कनेक्शन के लिए 2000 रुपए और कनेक्शन के लिए सारे दस्तावेज लेने के बाद लिए गए राशि का दुरुपयोग कर नल कनेक्शन को रजिस्टर नहीं करवाया गया साथ नपा कर्मचारी सुनीता पांडे के द्वारा कदम टोला निवासी ममता बैगा से नल कनेक्शन राशि 2000 रुपए लेने के नल कनेक्शन रजिस्टर ना करते हुए पैसे का दुरुपयोग कर लिया गया, नपा कोतमा में बहुत अवैध नल कनेक्शन होना और दोषी कर्मचारियों पर कोतमा सीएमओ के द्वारा कार्यवाही ना करना।

6. कोतमा नगर पालिका में व्याप्त अनियमितताओं के साथ कई निर्माण कार्य किया जा रहे हैं जिसमें कोतमा वार्ड क्रमांक 1 में लगभग 4 करोड़ 70 लाख रुपए का इनडोर स्टेडियम निर्माण

कार्य में निर्माण एजेंसी ठेकेदार निविदा, वर्क ऑर्डर नियम के विपरीत कार्य, वार्ड क्रमांक 8 में मगरदहा टोला में अरुण चक्रधारी के घर से लालमणि चक्रधारी के घर तक और कोतमा कदम टोला में आर सीसी नाली निर्माण कार्य में एजेंसी ठेकेदार ने बेहद ही घटिया और गुणवत्ताहीन कार्य किया और अब कोतमा कदम टोला वार्ड नंबर 11 में प्यारेलाल कोल के घर के सामने गुणवत्ताहीन पुलिया निर्माण कार्य हो रहा है। इसके साथ ही वार्ड नं 13 में एफ एस टी पी का निर्माण कराया गया है ज्ञापन सौंप गुणवत्ताहीन कार्यों की जांच किए जाने की मांग करने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा कोई कार्यवाही ना करना। इन समस्याओं के समाधान के लिए शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के द्वारा कई बार ज्ञापन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अतः शिवसेना अनूपपुर जिला इकाई शांतिपूर्ण तरीके कोतमा भालूमाड़ा मुख्य मार्ग कदम टोला गणेश कोल के घर के पास प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हैं।

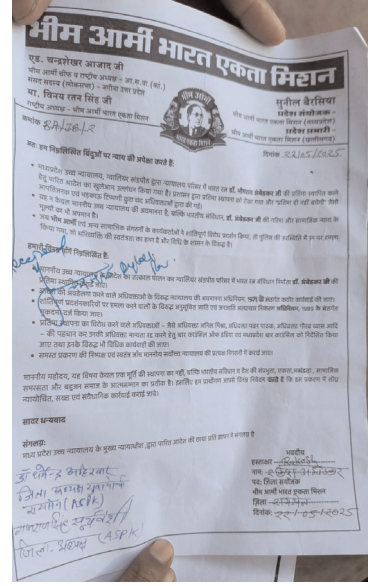


कलेक्टर को भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी युवा मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन।



हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता
रायसेन। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आज भीम आर्मी द्वारा एक व्यापक आंदोलन के तहत जिला कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा गया। रायसेन जिले में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी (युवा मोर्चा) के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर महोदय के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर सैकड़ों कार्यकर्ता एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। ज्ञापन सौंपने के कार्यक्रम में भीम आर्मी जिला अध्यक्ष राकेश अंबेडकर, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष गजराज सूर्यवंशी, आजाद समाज पार्टी युवा मोर्चा के डॉ. धर्मेंद्र अहिरवार, सिलवानी से नेपाल सिंह चौधरी, गैरतगंज से निलेश चौधरी, भूपेंद्र

चौधरी, चैन सिंह चौधरी अभिषेक बौद्ध, भारत सिंह, संतोष अहिरवार, दीपक अहिरवार, शिवराज सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। इस आयोजन में सभी ने एकजुटता का परिचय देते हुए संविधान और सामाजिक न्याय के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। राकेश अंबेडकर ने कहा, हमारा यह आंदोलन केवल एक प्रतिमा की स्थापना के लिए नहीं, बल्कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों और संविधान की रक्षा के लिए है। हम



सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हैं कि एकजुट होकर इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं। गजराज सूर्यवंशी ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा, आप सभी के सहयोग और एकता से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह एकता हमारी ताकत है, और हम इसे और मजबूत करेंगे। कार्यकर्ताओं ने जय भीम, जय भारत, जय संविधान के नारों के साथ अपनी मांगों को बुलंद किया और विश्वास जताया कि निरंतर संघर्ष से जीत निश्चित रूप से उनकी होगी।

बच्चों की सुरक्षा में कोई लापरवाही स्वीकार्य नहीं, लापरवाही पर होगी सख्त से सख्त कार्यवाही

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश



कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में भोपाल जिले के अंतर्गत संचालित स्कूल संचालकों की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था एवं बच्चों की बसों के संबंध में यातायात पुलिस के साथ संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने सभी स्कूल संचालकों को सख्त हिदायत दी है कि बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई भी लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बच्चों देश का भविष्य है। प्रशासन एवं पुलिस द्वारा बच्चों की सुरक्षा के साथ अवांछनीय व्यवहार करने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। विगत दिवस हुई घटना में भी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने सभी स्कूल संचालकों को निर्देशित किया कि नए सत्र प्रारंभ होने के पूर्व सभी स्कूल संचालक स्कूलों में ट्रांसपोर्ट अधिकारी नियुक्त कर सभी बच्चों के ट्रांसपोर्ट, वाहनों का फिटनेस, ड्रायवर का स्क्रीनिंग एवं ओरिएंटेशन प्रोग्राम करारकर संयुक्त सर्टिफिकेट देंगे। इसके साथ ही सभी बसों में सुरक्षा की दृष्टिगत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बच्चों के स्कूल ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में दिए गए निर्देश एवं सीबीएससी नॉर्म्स का पालन करेंगे। इसके साथ ही समय-समय पर पुलिस एवं प्रशासन स्कूल वाहनों के चालक - परिचालकों की स्क्रीनिंग प्रोग्राम के माध्यम से गाइड लाइन के संबंध में जानकारी देंगे। बैठक में डीसीपी ट्रैफिक संजीव सिंह द्वारा प्रजेंटेशन के माध्यम से स्कूल वाहनों की फिटनेस, बीमा एवं सुरक्षा नोम्स की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्कूल संचालक, नशा करने वाले चालक- परिचालकों नौकरी पर न रखे, सभी स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे, स्पीड गर्वनर के साथ जीपीएस सिस्टम, अग्निशमन यंत्र, इमर्जेंसी विंडो, फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था के साथ हॉरिजोन्टल ग्रील (आडी पट्टियां) अनिवार्य रूप से लगवाएं। बसों में समय-समय पर बच्चों की सुरक्षा दृष्टिगत माता-पिता एवं स्कूल के शिक्षक स्वयं यात्रा कर बसों की सुरक्षा मापदंडों को जांचें। उन्होंने सभी संचालकों को निर्देशित किया कि सभी चालक - परिचालक यातायात नियमों का पालन करें।

विस्तार ले रहे नगरीय क्षेत्रों का व्यवस्थित नियोजन जरूरी, मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित मेट्रोपॉलिटन एरिया गठन से संबंधित बैठक ली

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों का तेजी से विस्तार हो रहा है। जनसामान्य को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नगरीय क्षेत्रों के व्यवस्थित नियोजन को समय रहते सही दिशा देना जरूरी है। इंदौर-उज्जैन-देवास-धार और भोपाल-सीहोर-रायसेन-विदिशा-ब्यावरा (राजगढ़) को मिलाकर प्रदेश में दो मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकसित किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों के नगरीय निकायों और विकास प्राधिकरणों के प्रबंधन को सशक्त करते हुए संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। प्रस्तावित क्षेत्रों में वर्तमान में पर्याप्त औद्योगिक गतिविधियां संचालित



हो रही हैं। मेट्रोपॉलिटन के रूप में विकास से यहां निवेश और औद्योगिक विकास की प्रक्रिया तेज होगी। मुख्यमंत्री प्रस्तावित मेट्रोपॉलिटन एरिया गठन से संबंधित बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में आयोजित बैठक में राजस्व मंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास सहित अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में परस्पर कनेक्टिविटी बढ़ाना आवश्यक है। इसके लिए बसाहटों, यातायात, सार्वजनिक परिवहन, अधोसंरचना, जल आपूर्ति, सीवरेज, विद्युत आपूर्ति, और प्रकाश व्यवस्था आदि की समन्वित रूप से कार्ययोजना बना कर गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। इन वृहद क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता, कृषि योग्य भूमि के संरक्षण, वन प्रबंधन, जल ग्रहण और पर्यटन की संभावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए संवेदनशीलता के साथ नीतियां निर्धारित की जाएं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की पंचायतों को आवश्यकतानुसार नगर परिषद के रूप में विकसित किया जाए। बैठक में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और तामिलनाडु में मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन के लिए विद्यमान व्यवस्था पर भी चर्चा हुई।

रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाने पर महिला पटवारी निलंबित लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद तत्काल प्रभाव से आदेश जारी



रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

लोकायुक्त इकाई की ट्रेप कार्यवाही के अंतर्गत महिला पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया आरोपिया सुप्रिया जैन, पटवारी हल्का 4 परवलिया सड़क तहसील हुजूर जिला भोपाल को ग्राम मुबारकपुर तहसील हुजूर जिला भोपाल निवासी एक व्यक्ति से उसकी 18 एकड़ कृषि भूमि के सीमांकन हेतु पटवारी सुप्रिया जैन ने प्रति एकड़ 2000 रुपये के हिसाब से 36000 रूपयों की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत के बाद लोकायुक्त ने सुप्रिया जैन द्वारा उसके निवास हिमांशु टावर लालघाटी के पार्किंग एरिया में आवेदक से 10000 रु. की रिश्वत लेते हुए ट्रेप किया गया। कार्यवाही के बाद सुप्रिया जैन पटवारी के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) के विभिन्न नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सुप्रिया जैन, पटवारी तहसील हुजूर जिला भोपाल को मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।

जनसुनवाई में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने नागरिकों की समस्याओं का किया निराकरण



हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता

रायसेन। कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित सभाकक्ष में प्रति मंगलवार की भांति आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा नागरिकों की समस्याओं पर सुनवाई करते हुए उनका निराकरण किया गया। कुछ प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर निराकृत करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनसुनवाई में उपस्थित एसडीएम, जनपद सीईओ तथा सीएमओ को निर्देश दिए कि विकासखण्ड स्तर पर प्राप्त होने वाले आवेदनों का गंभीरतापूर्वक शीघ्र निराकरण किया जाए। जिससे कि नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान हेतु जिला मुख्यालय पर ना आना पड़े। जनसुनवाई में प्राप्त अधिकांश आवेदन पीएम आवास, अतिक्रमण, खाद्यान्न पात्रता पर्ची, आर्थिक सहायता, विद्युत सहित योजनाओं के लाभ से संबंधित थे। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर श्रीमती श्वेता पवार, डिप्टी कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अनुभागों से एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ सहित विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी जनसुनवाई में शामिल हुए।

अवैध कॉलोनियों और शासकीय भूमि पर जिला प्रशासन की अतिक्रमण विरोधी सख्त कार्यवाही



रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के निर्देश पर राजस्व विभाग, पुलिस, नगर निगम एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा तहसील हुजूर क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई जारी है। राजस्व विभाग, पुलिस, नगर निगम एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है। गुरुवार को की गई कार्रवाई में मिलेनियम कॉलेज द्वारा शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। ग्राम छावनी पठार में 3 एकड़

बेशकीमती शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इसके साथ ही ग्रीनवुड फार्म नामक अवैध कॉलोनी के निर्माण कार्य को ध्वस्त किया गया। इसी क्रम में मयूरी गार्डन (बरखेड़ा नाथू) और रॉयल रिसोर्ट में हो रहे अवैध निर्माणों को तोड़ा गया। साथ ही ग्राम कोड़िया में 5 एकड़ शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। जिला प्रशासन द्वारा अवैध कॉलोनियों और शासकीय भूमि पर कब्जा करने जैसे गैरकानूनी कार्य किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऐसे सभी अतिक्रमणों के विरुद्ध कठोर और निरंतर कार्रवाई की जाएगी।

अनूपपुर जिला ग्राम पंचायत सचिव को लोकायुक्त 15 हजार रिश्वत लेते पकड़ा

- अनूपपुर - जिले के अनूपपुर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत भाद सचिव बृजेश तिवारी को रीवा लोकायुक्त के द्वारा 15 हजार रिश्वत लेते ग्राम
- ग्राम पंचायत सचिव को लोकायुक्त 15 हजार रिश्वत लेते पकड़ा

कैलाश कुमार - सह संपादक (युवा प्रदेश)

अनूपपुर। जिले के अनूपपुर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत भाद सचिव बृजेश तिवारी को रीवा लोकायुक्त के द्वारा 15 हजार रिश्वत लेते ग्राम पंचायत चुकान से पकड़ा गया है। ग्राम पंचायत चुकान सचिव बृजेश तिवारी अतिरिक्त प्रभार में थे। जिसकी कार्यवाही एसईसीएल भालूमाड़ा गेस्ट हाउस में लोकायुक्त की टीम के द्वारा की जा रही है। उप सरपंच के शिकायत पर हुई कार्यवाही में लोकायुक्त एस राम मरावी निरीक्षक ने बताया कि भाद ग्राम पंचायत उप सरपंच शिवकुमार प्रजापति तथा राजेंद्र सोनी के द्वारा रीवा लोकायुक्त में शिकायत किया गया था कि ग्राम पंचायत सचिव बृजेश तिवारी के द्वारा भाद ग्राम पंचायत में पुलिया निर्माण के लिए 20 हजार का रिश्वत मांगा गया था। रिश्वत की पहली किस्त 5 हजार रुपये सचिव को दे दिया गया था। आज रिश्वत की दूसरी किस्त 15 हजार लेते सचिव बृजेश तिवारी को रंगे हाथों लोकायुक्त के द्वारा पकड़ा गया जिसकी कार्यवाही की जा रही है।

एस राम मरावी निरीक्षक लोकायुक्त रीवा



जयसिंहनगर के जंगलों में मिला गांजे का जखीरा, तीन करोड़ से अधिक बताई गई कीमत, 38 कुंटल गांजा जब्त

संभागीय संवाददाता - राजू राय

जयसिंहनगर पुलिस ने जंगलों से बड़ी मात्रा में गांजे की एक बड़ी खेप को जप्त किया है। जिसकी कीमत लगभग तीन करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। एसपी के निर्देश पर इस कार्यवाही को अंजाम दिया है। पुलिस एक ब्रेजा कार की तलाश कर रही है जिसमें आरोपी भागे थे। पुलिस ने बताया कि जयसिंहनगर थाना क्षेत्र के गिरुई खुर्द गांव से दो किलोमीटर दूर जंगलों में गांजे की एक बड़ी खेप छुपा कर रखने की सूचना मुखबिर के द्वारा पुलिस को मिली थी। वरिष्ठ अधिकारियों को मामले से अवगत कराया गया, और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम ने मौके पर दबिश दी। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो इतनी बड़ी मात्रा में गांजा देख पुलिस खुद हैरान रह गई। पुलिस के अनुसार जंगलों में 100 से



अधिक बोरियों में गांजा मिला है। जिसका वजन लगभग 38 कुंटल 26 किलो है। पुलिस के अनुसार जहां पर गांजा मिला है वह जंगली क्षेत्र है और गांव की बस्ती से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। शहडोल रीवा मुख्य मार्ग से घटनास्थल की दूरी लगभग 10 किलोमीटर बताई गई है। पुलिस के अनुसार प्लास्टिक की 100 से अधिक बोरियों में यह गांजे का जखीरा जप्त किया गया है। 38 कुंटल 26 किलो गांजे की कीमत पुलिस ने लगभग तीन करोड़ से अधिक बताई है। पुलिस जब कार्यवाही कर रही थी तभी एक ब्रेजा कार दिखाई दी, जिसका रंग सफेद था। गांजे के पास पुलिस कर्मियों को देखकर वाहन चालक ने वाहन को बैक किया और तेज रफ्तार वाहन लेकर भागने लगा, तभी पुलिस को शंका हुई और

पुलिस ने कार का पीछा किया, लेकिन काफी पीछा करने के बाद भी वाहन भागने में सफल रहा। आगे के थानों में भी पुलिस ने इसकी जानकारी दी, सड़क पर भी पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वाहन में दो लोग सवार थे और तेज गति से वह भाग खड़े हुए। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि गांजे को कार में सवार लोगों ने ही जंगल में छुपा कर रखा होगा, और उसे देखने आरोपी पहुंचे थे, लेकिन मौके पर पुलिस थी जिसे देखकर आरोपी भाग गए। ब्यूहारी एसडीओपी रवि प्रकाश ने मामले में बताया कि 38 कुंटल 26 किलो गांजा बरामद किया गया है। जिसकी कीमत तीन करोड़ से अधिक है। आरोपी अभी अज्ञात है, अज्ञात आरोपीयों पर एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज का कार्यवाही जारी है।

नाबालिग बालिका के अपहरणकर्ता परवेज को महाराष्ट्र से गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

ज्ञान चन्द शर्मा/बालाघाट। मई को थाना कोतवाली क्षेत्र की 14 वर्षीय नाबालिग बालिका के अपहरण होने की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाने में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह द्वारा नाबालिग बालिका के अपहरण की घटना को गंभीरता से लेते हुए अलग अलग टीम गठित कर अपहृत बालिका की तत्काल तलाश करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालाघाट विजय डाबर एवम् नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री वैशाली सिंह कराहलिया के मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक विजय राजपूत के नेतृत्व में विवेचना दौरान एवम सायबर सेल की तकनीकी सहायता से नाबालिग बालिका को आरोपी मोहम्मद प्रमेश उर्फ परवेज शेख पिता रफीक शेख उम्र 20 वर्ष निवासी अंचलेश्वर चौक चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एवम् अपचारी बालक द्वारा अपहरण कर जबरदस्ती ट्रेन से नागपुर ले जाकर एवम् किराये के कमरे में रखने का पता चला। थाना कोतवाली की महिला पुलिस अधिकारी उनि.किरण वरकड़े एवम् पुलिस टीम द्वारा बालिका को दस्तयाब कर पूछताछ करने पर बालिका के बताए अनुसार दोषियों के विरुद्ध अपहरण, दुष्कर्म एवम् पाकसो एक्ट की आपराधिक धाराओं सहित एससी/एसटी एक्ट का इजाफा किया गया। कोतवाली पुलिस टीम द्वारा आरोपी मोहम्मद प्रमेश उर्फ परवेज शेख को चंद्रपुर (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार किया गया जबकि दूसरी पुलिस टीम द्वारा अपचारी बालक को बालाघाट आ रही बस से विधिवत् पुलिस अभिरक्षा में लिया गया जिनसे पूछताछ कर आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया। थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक विजय राजपूत, उनि. दीपसिंह परमार, उनि.किरण वरकड़े, प्र.आर.राहुल गौतम, प्र.आर.गजेन्द्र माते, आर. प्रियांक श्रीवास, आर.शेख शहजाद एवम् सायबर सेल से प्र.आर.शोभेंद्र डहरवाल, आर.प्रदीप पुते, आर. जय भगत की सहायनीय भूमिका रही।

गांजा तस्करी में शामिल 02 युवकों में 01 फरार पुलिस ने एक को धर दबोचा

ज्ञान चन्द शर्मा

बालाघाट पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह द्वारा जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवम् थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थों का व्यापार करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालाघाट विजय डाबर एवम् अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) वारासिवनी अभिषेक चौधरी के मार्गदर्शन में वारासिवनी थाना प्रभारी उपनिरीक्षक हेमन्त नायक की टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले 01 आरोपी को गिरफ्तार कर करीब 02.02 किलोग्राम गांजा कीमत 35 हजार रुपये जप्त करने में सफलता प्राप्त की है। 18 मई की दरम्यानी रात को प्लेटिना मोटर साईकिल से अवैध

मादक पदार्थ गांजा तस्करी की विश्वशनीय मुखबिर से सूचना सूचना प्राप्त होने पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना वारासिवनी पुलिस की अलग अलग गठित टीमों द्वारा विभिन्न मार्गों में नाकाबंदी की गई। रात्रि के वक्त वारासिवनी लालबर्मा मार्ग पर नाका के पास वारासिवनी की ओर से एक संदिग्ध काले रंग की बजाज प्लेटिना मोटर साईकिल पर सवार 02 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा रोका गया। जिसमें मोटर साईकिल चला रहे आरोपी जानी पिता रमेश बुधरानी उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड नं.06, लालबर्मा रोड़ वारासिवनी हाल मुकाम वार्ड नंबर 02 सम्राट नगर वारासिवनी की गाड़ी से नीले रंग के थैले से करीब 02.02 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा रखे मिला जिसकी कीमत करीब

35,000/हजार रुपये है। घटना में प्रयुक्त एक बजाज कम्पनी प्लेटिना मोटरसाईकिल वहां जप्त कर मौके पर विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी को रिमांड पर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर फरार आरोपी पियूष बसंतवानी की तलाश की जा रही है।

आरोपी को गिरफ्तार करने में वारासिवनी थाना प्रभारी उपनिरीक्षक हेमन्त नायक, उपनि.पवन यादव, उपनि.धर्मराज यादव, स.उनि.तरुण सोनेकर, डू स.उनि.महलसिंह धुर्वे, स.उनि.राजेश सनोडीया, प्र.आर.शाहिद परवेज खान, आर.कल्याणसिंह भदौरिया, आर.वसीम खान, आर.विकास चौड़े, आर.शिवदत्त शर्मा, आर. हेमन्त बघेल की सहायनीय भूमिका रही।

रामनगर पुलिस द्वारा नाबालिग 16 वर्षीय युवती को किया दस्तयाब

कैलाश कुमार - सह संपादक (युवा प्रदेश)

अनूपपुर/डोला - नाबालिग गुमशुदगी के दस्तयाबी का अभियान श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मोती उर रहमान के निर्देशन में चलाया जा रहा है। जो कि दिनांक 23 अप्रैल 2025 को रामनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 16 वर्षीय नाबालिग बालिका लापता हो गई थी। वह दोपहर के समय अपने परिजनों के साथ लकड़ी लेने जंगल गई थी, परंतु घर लौटते समय वह साथ नहीं थी परिजनों द्वारा आसपास और रिश्तेदारी में काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों की सूचना पर थाना रामनगर में अपराध क्र 92/25 धारा 137(2) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। दौरान विवेचना आज दिनांक 21 मई 2025 को बस स्टैंड कोतमा से सकुशल दस्तयाब किया गया है। जिसे परिजनों को सुपुर्द किया गया है। उक्त कार्यवाही में एसडीओपी आरती शाक्य के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सुमित कौशिक, उनि फूलवती एवं एसआई कमला टांडिया का सहायनीय योगदान रहा है।



जन अधिकार(मोर्चा) सामाजिक कल्याण संघ, छ.ग. की प्रदेश स्तरीय प्रथम बैठक कांकेर जिला में सम्पन्न

चंद्रिका सिंह
प्रदेश अध्यक्ष

कांकेर दिनांक 17/05/2025 जन अधिकार सामाजिक कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिका सिंह एवं प्रदेश महासचिव विपिन कुमार तिवारी ने प्रेस मीडिया को यह अवगत कराया कि, प्रदेश के बेरोजगारों, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, रसोईयाओं एवं पेंशनर्स तथा लिपिकों की समस्याओं के साथ ही साथ अन्य सामाजिक समस्याओं के निराकरण करने हेतु संघ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ एवं मुख्य सचिव महोदय को ज्ञापन के माध्यम से निम्न लिखित 15 बिन्दुओं से अवगत कराते हुए निवेदन किया है कि, हर मानव एक सामाजिक प्राणी है, और अपने जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है। सामाजिक संरचना के भू-तल को दृष्टिगत रखते हुए न्याय दिया जाना, न्याय की श्रेणी में आता है। समाज का विकास तो देश का विकास के मद्देनजर संघ को प्राप्त समस्याओं के निवारण हेतु की गयी अपील अनुसार निम्न बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर संघ समस्याओं का निराकरण करने हेतु करबद्ध प्रार्थना करता है। 1. यह कि, प्रदेश के बेरोजगारों के लिए शासन द्वारा बनायी गयी नीति का संघ स्वागत करते हुए यह निवेदन करता है कि, नीति में सरलीकरण करते हुए बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराया जायें, ताकि प्रत्येक बेरोजगार हँसते हुए उस नीति का पालन कर सौंपे गये दायित्वों को निर्वहन भली-भांति कर सके। 2. यह कि, प्रदेश के भीतर विभिन्न विभागों में कई वर्षों से दैनिक वेतन भोगी के रूप में विभिन्न पदों पर कर्मचारी सेवा दे रहे हैं। उनका नियमितिकरण न होने से निश्चित तौर पर कर्मचारी तथा उसके परिवार में एक भय का वातावरण बना रहता है कि, हमारी सेवायें कब तक चल पायेंगी और हम कब नियमित हो पायेंगे, न केवल संबंधित कर्मचारी अपितु उसका पूरा परिवार इस चिन्तामयी रोग का शिकार होता है।

संघ विनम्र प्रार्थना करता है कि, एक चरणबद्ध तरीके से नियमितिकरण की कार्यवाही करने की महान कृपा करेंगे, क्योंकि प्रायः यह मुद्दा विपक्ष के लिए चुनावी मुद्दा का रूप धारण करता है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के जस्टिस माननीय बिभु दत्ता गुरु के सिंगल बेंच द्वारा 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 60 दिवसों में नियमितिकरण का लाभ दिये जाने हेतु आदेश पारित किया है। संघ का निवेदन है कि, माननीय न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से पालन कराने की कृपा करेंगे 3. यह कि, प्रदेश में शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूलों/छात्रावासों / आवासीय विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों को वर्तमान में दिया जा रहा मानदेय कलेक्टर दर से भी कम है। महोदय कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी मजदूरी दर में यह स्पष्ट उल्लेख रहता है कि, किसी भी मजदूर/श्रमिक को कलेक्टर दर से कम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाना है। महोदय, रसोईया भी दिनभर की सेवा देता है

फिर उन्हें कलेक्टर दर से कम दर दिया जाना, न ही उचित है और न ही न्यायसंगत प्रतीत होता है। संघ विनम्र निवेदन करता है कि, इनके मजदूरी दर पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मानवीय आधार पर कलेक्टर दर देने की महान कृपा करेंगे। 4. यह कि, प्रदेश के भीतर शासन द्वारा समय-समय पर जारी महंगाई भत्ता नियमित कर्मचारियों को तो दे दिया जाता है किन्तु पेंशनरों को लम्बे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है जबकि, इस उम्र में महंगाई एवं बीमारी को दृष्टिगत रखते हुए पेंशनरों को पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। संघ विनम्र निवेदन करता है कि, समय-समय पर



जारी महंगाई भत्ता आदेश में नियमित कर्मचारियों की भांति इनका लाभ पेंशनरों को भी दिया जावे। 5. यह कि, प्रदेश के लिपिकों का सन् 1981 वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गयी वेतनमान सूचकांक को देखने से यह पता लगता है कि, लिपिक के संवर्ग अन्य पदों का वेतनमान लिपिकों के वेतनमान से कम रहा है। इसके पश्चात् जब-जब आयोग बैठा तब-तब इस वर्ग का वेतनमान शनै-शनै कम होता चला गया, जिसके कारण आज प्रदेश के लिपिक अपने वेतनमान को कार्य के अनुरूप न मानते हुए अपमानजनक वेतनमान स्वीकार कर वेतन प्राप्त कर रहे हैं। महोदय संघ यह निवेदन करता है कि, किसी भी वर्ग को प्राप्त वेतनमान में गिरावट करना तथा कम वेतन पाने वाले को उच्चतम वेतनमान देना किसी भी दृष्टि से न तो उचित है और न ही न्यायसंगत है। संघ विनम्र निवेदन करता है कि प्रदेश के लिपिकों को सम्मानजनक वेतनमान देने की महान कृपा करेंगे ताकि, वे अपने सेवाकाल में अपने-आपको अपमानित महसूस न करें। 6. यह कि, रेल्वे विभाग द्वारा प्रदेश के बस्तर संभाग जहाँ से लौह अयस्क का भारी मात्रा में परिवहन किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर वहां की जनता के समस्याओं की ओर कोई ध्यान न दिया जाना किसी भी स्थिति में न तो उचित है और न ही न्यायसंगत इतने बड़े भू-भाग बस्तर संभाग के मुख्य रेल्वे स्टेशन जगदलपुर में आजतक रैम्प का निर्माण नहीं किया गया है, जिसके कारण विशाखापट्टनम व उड़ीसा राज्य में उपचार कराने वाले मरीजों को ना-ना प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार बस्तर संभाग के दन्तेवाड़ा जिले का निर्माण लगभग 25 वर्ष पूर्ण होने को है निश्चित तौर पर यहां की आबादी काफी संख्या में बढ़ी है, जिसके

कारण यातायात का घनत्व भी बढ़ा है प्रत्येक घंटे में माल गाड़ियों के आवाजाही से आंवराभाटा स्थित रेल्वे क्रासिंग बंद रहता है, केवल आने-जाने वाले ही परेशानियों का सामना नहीं कर रहे हैं। जिला चिकित्सालय से रेफर किये गये मरीज भी इसके शिकार हो रहे हैं। संघ विनम्र निवेदन करता है कि, जगदलपुर में रैम्प का निर्माण तथा दन्तेवाड़ा जिला के आंवराभाटा स्थित रेल्वे क्रासिंग पर उच्च स्तरीय पुल (ओव्हर ब्रिज) निर्माण कराने की महान कृपा करेंगे। 7. यह कि, अम्बिकापुर संभाग अंतर्गत अम्बिकापुर से बरवाडीह तक रेल लाइन का आज तक विस्तार व निर्माण न होने से न केवल क्षेत्र

की जनता परेशान है अपितु क्षेत्र का विकास भी कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है। संघ विनम्र निवेदन कर मांग करता है कि, उक्त रेल लाइन का विस्तार कराने की महान कृपा करेंगे। 8. यह कि, जिला गरियाबंद निर्माण हुए लगभग 13 वर्ष पूर्ण होने को है यहां कि आबादी और यातायात का घनत्व काफी बढ़ने के बावजूद भी गरियाबंद शहर में न तो डिवाइडर का निर्माण किया गया है और न ही कोई बाईपास सड़क की व्यवस्था है। आज भी भारी वाहन शहर के बीचों-बीच रोड़ से गुजरते हैं, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करता पड़ता है वहीं दूसरी ओर आय दिन दुर्घटनायें भी होती रहती हैं और भविष्य में बड़ी दुर्घटना होने से इंकार भी नहीं किया जा सकता। अतः संघ निवेदन कर मांग करता है कि, मालगांव से डोंगरीगांव तक बाईपास सी.सी. रोड का निर्माण कराने की महान कृपा करेंगे। भविष्य में भारी वाहनों को शहर के अंदर से प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाकर बाईपास भेजने की व्यवस्था की जाये जिससे जहां एक ओर जनमानस को राहत मिल सकेगा वहीं दूसरी ओर अप्रिय घटना को रोका जा सकेगा। 9. यह कि, प्रदेश के भीतर राज्य शासन ने शासकीय कर्मचारियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है नियमित स्थापना एवं कार्यभारित स्थापना दोनों श्रेणी में समान कार्य का समान वेतनमान प्राप्त हो रहा है। बड़ा हास्यपद बात है कि, कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों को अवकाश के नाम पर दोहरा मापदण्ड अपनाया गया है जोकि, किसी भी स्थिति में न तो उचित है और न ही न्याय संगत, संघ विनम्र आग्रह करता है कि, मानवता को दृष्टिगत रखते हुए नियमित स्थापना के कर्मचारियों की भांति सभी कार्यभारित कर्मचारियों को अवकाश एवं अवकाश के नगदीकरण का लाभ भी दिया

जावे। 10. यह कि, शासन द्वारा जनहित में जा चलाये जा रहे जल जीवन मिशन पुनीत कार्य काफी स्वागत योग्य है और जनमानस इसका स्वागत करता है किंतु जल जीवन मिशन कार्य को सौंपे गए विभाग द्वारा गंभीरता से न लेने के कारण केवल कागजों में लगभग कार्यवाही सिमट कर रह गई है इसका लाभ ग्रामीण अंचलों में जनता को नहीं मिल पा रहा है यह शिकायत ग्रामीणों द्वारा बार-बार संघ को की जा रही है, संबंधित विभाग शासन द्वारा चलाए गए इस पुनीत कार्य को पूरी तरह से ध्वस्त करने में मस्त है। संघ निवेदन कर मांग करता है कि, कराए गए कार्यों की जहां एक ओर सूक्ष्मता पूर्वक जांच कराया जाना निहायत आवश्यक हो गया है वहीं, दूसरी ओर जनता को समयबद्ध तरीके से शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सके समुचित व्यवस्था किया जाना नितांत आवश्यक है तत्संबंध में संघ आपसे निवेदन करता है कि जनता की परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए इसका निराकरण करेंगे। 11. यह कि, राज्य शासन की समस्त शासकीय विभागों के शासकीय वाहनों का बीमा कराया जाना नितांत आवश्यक है क्योंकि दुर्घटनाएं किसी भी विशेष वर्ग को पूछ कर नहीं आती और यदि शासकीय विभागों में वाहनों से कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो कर्मचारी व अधिकारी को इसका लाभ नहीं मिलता जोकि, ना तो उचित है नहीं न्याय संगत है। अतः संघ आपसे निवेदन करता है कि शासकीय वाहनों का बीमा कराया जावे। 12. यह कि, राज्य शासन के अंतर्गत शासकीय कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगाये गये प्रतिबंध को हटाने का कार्य शासन द्वारा किया जायें। 13. यह कि, बस्तर संभाग के अंतर्गत छात्रावास/आश्रमों में स्वास्थ्य सेवा के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति हो। 14. यह कि, राज्य के सभी जनपद पंचायतों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के पश्चात पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। 15. यह कि, बस्तर संभाग एवं सरगुजा संभाग राज्य का विशेष क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में राज्य स्तरीय भर्ती प्रक्रिया से प्रायः भरे गए पद स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप पुनः रिक्त हो जाते हैं, जिससे इन क्षेत्रों में पद खाली पाए जाते हैं। संघ मांग करता है कि, रिक्त पदों पर स्थानीय मर्ती होनी चाहिए जिससे रिक्त पदों की समस्या समाप्त होगी। अतः संघ विनम्र निवेदन कर मांग करता है कि, उपरोक्तानुसार बिन्दुवार 15 मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जनहित में जल्द से जल्द मांगों की पूर्ति करने की महान कृपा करेंगे, जिसके लिये संघ आपका सदैव आभारी रहेगा। कृपया की गयी कार्यवाही से संघ को अवगत कराने की महान कृपा करेंगे। उक्त मांगों के संबंध में कलेक्टर महोदय की अनुपस्थिति में कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि सुश्री दुर्गा कुजूर, नायब तहसील ने सभा स्थल पर आकर संघ के ज्ञापन को प्राप्त किया। संघ के जिला कांकेर में इस प्रदेश स्तरीय प्रथम बैठक में 15 नए सदस्यों ने संघ की 31 बिंदुओं पर बने रीति नीति से प्रभावित होकर संघ सदस्यता ग्रहण की है।

नक्सलियों व पुलिस के बीच बिलालकसा के जंगल में 20मई को हुई मुठभेड़

ज्ञान चन्द शर्मा

बालाघाटजिले के लांजी छेत्रांतर्गत पुलिस चौकी डाबरी में जीआरबी डिवीजन के 10 से 15 नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना प्राप्त हुई थी। उक्त नक्सल आसूचना पर हॉकफोर्स तथा सीआरपीएफ बी 217कोबरा की कुल 12 टीमों के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान के तहत मंगलवार को सुबह सचिंग अभियान शुरू किया गया था। सचिंग के दौरान दोपहर 2 बजे हॉकफोर्स की टीम जब बिलालकसा ग्राम से लगे जंगल छेत्र में पहुंची तो जंगल में सुखे पत्ते होने के कारण आसपास पुलिस टीम की उपस्थिति का पता लग जाने के कारण 15 से 20 सशस्त्र माओवादियों के समूह द्वारा पुलिस पार्टी पर 20 से 30 राउंड फायर किया गया। जिससे पुलिस टीम को आत्मरक्षार्थ पेड़ों तथा पत्थरों के पीछे आड़ लेनी पड़ी तब नक्सली सतर्क होकर पुलिस टीम पर फायर कर मौके से भागने में सफल हो गए। हॉकफोर्स की टीम ने भी आत्मरक्षार्थ जवाबी संतुलित फायर किए। मुठभेड़ के दौरान नक्सल पार्टी के भागने की दिशा में हॉकफोर्स तथा सीआरपीएफ कोबरा की पार्टियां तैनात कर सम्पूर्ण छेत्र को सर्च किया जा रहा है। उक्त मुठभेड़ में बालाघाट पुलिस द्वारा मौके से नक्सलियों द्वारा उपयोग की जा रही सोलर प्लेट तथा बड़ी संख्या में दैनिक उपयोग की सामग्री तथा दवाइयां भी बरामद की गई।

उचित मूल्य दुकान पर धोखाधड़ी का आरोप, पूर्व सरपंच की मांग जांचकर हो कार्यवाही



अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ अनूपपुर

अनूपपुर। अनूपपुर जिले के धुरवासिन उचित मूल्य दुकान (राशन की दुकान) संचालक और सेल्समैन पर गरीबों और आदिवासियों के राशन में हेराफेरी और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। धुरवासिन गाँव के पूर्व सरपंच भागवत सिंह ने शिकायत की है कि दुकान संचालक ब्रिजेंद्र कुमार (डब्बू) द्वारा बैगा, गोड़, पनिका आदिवासियों और चौधरी, प्रजापति, हरिजन, यादव समुदाय के गरीब व अनपढ़ लोगों को उनका जायज राशन नहीं दिया जा रहा है। भारती सिंह, हर्षिता और कीर्ति सिंह जैसे निवासियों को उनका राशन नहीं दिया जा रहा, अंत्योदय राशन कार्ड में भी राशन कम दिया जा रहा है जबकि ऑनलाइन रिकॉर्ड में उनके नाम पर राशन की निकासी दिखाई जा रही है। सेल्समैन का बहाना है कि केवाईसी पूरा नहीं हुआ है, जबकि ग्रामीणों का आरोप है कि यह सिर्फ एक ढोंग है ताकि उनका राशन हड़पा जा सके पूर्व सरपंच ने जिला खाद्य अधिकारी अनूपपुर को लिखित शिकायत दी है, जिसमें मांग की गई है कि इस धोखाधड़ी की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। लेकिन उनके जांच में देरी होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनूपपुर को शिकायत कर कार्यवाही की मांग है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि लंबे समय से गरीबों के राशन के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। कई परिवारों को महीनों तक राशन नहीं मिलता, जबकि सिस्टम में उनके कोटे का अनाज दिखाया जाता है। ग्रामीणों और पूर्व सरपंच ने मांग की है कि इस मामले की तुरंत जांच हो। दोषी दुकानदार और सेल्समैन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जिन परिवारों का राशन गबन किया गया है, उन्हें तुरंत उचित मुआवजा दिया जाए।

कतिया समाज की वीरांगना गौरा देवी की समाधि स्थल की साफ सफाई तक नहीं कोई भी श्रद्धांजलि तक नहीं करते कतिया समाज के लोग आगे आये

मूलचन्द मेंधोनिया पत्रकार एवं शहीद सुपौत्र चीचली तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर मध्यप्रदेश मोबाईल नंबर 8878054839

देश की आजादी के लिए अनुसूचित जाति वर्गों के हजारों महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश के लिए कुरबानी दी है। लेकिन ऐसे महापुरुषों को जो सम्मान मिलना चाहिए वह आज तक नसीब नहीं हुआ। जिसका मात्र एक ही कारण है वह है जातकवाद, भेदभाव व ऊंच नीच की भावना जिसका जिता जागता उदाहरण है मध्यप्रदेश के जिला नरसिंहपुर के नगर चीचली में जहां पर सन 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में चीचली गोंड राजा के राजमहल की देखभाल करने वाले सेवादार वीर मनीराम अहिरवार ने अंग्रेजी सेना के द्वारा महल पर चढ़ाई करने आई सेना से युद्ध कर उन्हें महल तक नहीं आने दिया।

वीर मनीराम ने अपनी वीरता शौर्य के दम पर अंग्रेजों को पत्थरों के अचूक निशाने से अंग्रेजों को लहलुहान कर गांव में प्रवेश तक नहीं होने दिया था। अंग्रेजों द्वारा गोली मनीराम पर चलाई जा रही थी। वही वीर मनीराम उन पर पत्थरों से बार बार कर रहे थे। अपना सीना तानते हुए आगे बढ़ रहे थे। इनके भय से अंग्रेजी



वीरांगना गौरा देवी की समाधि स्थल पर साफ सफाई हो। तथा उनकी समाधि स्थल की पैतृक भूमि पर स्मारक व भवन बनाया जाये।

सेना थर थर कांप रही थी, इनके खोपड़ियों को लहलुहान कर दिया था। वह फिरंगी गोली मनीराम पर चला रहे थे। इनकी ऊपर चली गोली में कतिया समाज की वीरांगना गौरा देवी के सीने में लगी और वह युद्ध स्थल पर ही वीरगति को प्राप्त हुई। जिनकी समाधि अवस्था की शिकार है। न कभी साफ सफाई होती और न ही रंग रोगन होता।

जातिवादी मानसिकता के लोगों द्वारा श्रद्धां सुमन समाधि स्थल पर नहीं अर्पित करते हैं। केवल 23 अगस्त जब भी आता है तब ही कुछ लोगों को याद आती है कि इस दिन अंग्रेजों से वीर मनीराम अहिरवार के युद्ध के द्वारा वीरांगना गौरा देवी शहीद हुई थी। तभी कोई फूल अर्पित करते हैं। बाकी कोई नमन तक नहीं करते हैं। ऐसी

मानसिकता रखने वाले लोग अनुसूचित जाति के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की उपेक्षा करते हैं। जो कि यह दर्शाता है कि आज के समय भी जाति पांति की भावना से कुछ लोग ग्रसित है। वीरांगना गौरा देवी जो कि कतिया समाज की होने के कारण उनकी समाधि स्थल की उपेक्षा तो है ही उनके नाम पर कोई भी भवन, या कोई नामकरण नहीं किया गया है।

अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आने वाली कतिया समाज के लोगों को सरकार का ध्यान दिलाना चाहिये और उनकी कुरबानी को यादगार बनाने हेतु उनकी स्मृति दिवस मनाना चाहिए। उनकी समाधि पर हर वर्ष सामाजिक संगठनों के लोगों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु एकत्रित होना चाहिए। यदि समाज के ही लोग ध्यान नहीं देंगे तो सरकार व प्रशासन को क्या मतलब वह तो जब ध्यान देते हैं कि कोई लोग आगे आये। शूरवीर मनीराम अहिरवार के सुपौत्र मूलचन्द मेंधोनिया ने सभी कतिया समाज के नागरिकों से अपील करते हुए आगे आने का अनुरोध किया है। इन्होंने अपना मोबाईल नंबर 8878054839 देते हुए निवेदन किया है कि सभी सामाजिक लोग अपनी समाज की वीरांगना को याद कर सामाजिक गौरव बढ़ाये।

तपती दोपहरी



भीम कुमार नगवां, गावां, गिरिडीह, झारखंड

सांय-सांय सनन पवन सरपट है दौड़ती जानलेवा हो गई मानो पछुआ बयार दुबक गए जल्दी सभी अपने आशियाने में देख कातिल जैसी बढी लू की प्रचंड प्रहार। खिड़की, दरवाजे बंद हो गए सभी सूनी-सूनी हो गई सड़कें और गलियां चम चमाती धूप और नाचती अंखियां बरसते आग के गोले और उसकी चिंगारियां शुष्क है वातावरण तपन से व्याकुल है धरा त्राहिमाम कर रहे लोग मनुज सोच जरा न मिलती छाया, न दिखते पीपल, बरगद के पेड़ उष्णता झेल रहे बच्चे बूढ़े और अंधेड़ उड़ते धूल, चलती आंधियां, धुंध हैं छाए चाहत रिमझिम बूंदों की, जल्दी से मेघ आए चिन-चिनाते तन, पसीने से तर बतर बदन असह्य पीड़ा बढ़ाती ये सूरज की तपन प्रकृति का नियम है हर चक्र बदलता मौसम कभी है शीत, तो कभी वर्षा, ग्रीष्म का सीजन पतझड़ बाद होता फिर से प्रकृति का नवसृजन शीतलता से मिलती नया जन-जीवन।

ग्राम पंचायत सचिव को लोकायुक्त 15 हजार रिश्तत लेते पकड़ा



एके गुप्ता ब्यूरो चीफ अनूपपुर

अनूपपुर। जिले के अनूपपुर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत भाद सचिव बृजेश तिवारी को रीवा लोकायुक्त के द्वारा 15 हजार रिश्तत लेते ग्राम पंचायत चुकान से पकड़ा गया है। ग्राम पंचायत चुकान सचिव बृजेश तिवारी अतिरिक्त प्रभार में थे। जिसकी कार्यवाही एसईसीएल भालूमाड़ा गेस्ट हाउस में लोकायुक्त की टीम के द्वारा की जा रही है उप सरपंच के शिकायत पर हुई कार्यवाही झु लोकायुक्त एस राम मरावी निरीक्षक ने बताया कि भाद ग्राम पंचायत उप सरपंच शिवकुमार प्रजापति तथा राजेंद्र सोनी के द्वारा रीवा लोकायुक्त में शिकायत किया गया था कि ग्राम पंचायत सचिव बृजेश तिवारी के द्वारा भाद ग्राम पंचायत मे पुलिया निर्माण के लिए 20 हजार का रिश्तत मांगा गया था। रिश्तत की पहली किस्त 5 हजार रुपए सचिव को दे दिया गया था। आज रिश्तत की दूसरी किस्त 15 हजार लेते सचिव बृजेश तिवारी को रंगे हाथों लोकायुक्त के द्वारा पकड़ा गया जिसकी कार्यवाही की जा रही है

बाईट- एस राम मरावी निरीक्षक लोकायुक्त रीवा

Nurses Day special

मुंगेली, छत्तीसगढ़। एम्स के उस वार्ड में, जहाँ हर बीतता क्षण किसी न किसी के दर्द की गवाही दे रहा था, वहाँ एक लड़की अपने डर और बेचैनी से जूझ रही थी। अस्पताल की ठंडी सफेद दीवारें उसे और भी अजीब महसूस करा रही थीं। वह लेखिका थी, शब्दों की जादूगर, लेकिन उस समय उसके मन में कोई कविता, कोई कहानी जन्म नहीं ले रही थी क्योंकि उस समय उसकी दुनिया में सिर्फ सुइयों का डर समाया था। वह अस्पताल में भर्ती थी, टेस्ट दर टेस्ट हो रहे थे, और हर बार सुई देखकर उसका दिल बैठ जाता। पहले दिन ही लगभग 5 बार उसे चुभाया गया। शाम को ड्यूटी बदलते ही एक नए सीनियर नर्सिंग ऑफिसर आलम खान सर जी आए। साधारण-सी बात थी—रूटीन चेकअप। उन्होंने बीपी चेक करने के लिए उसका नाम पूछा। लड़की ने संक्षिप्त-सा उत्तर दिया, जैसे उसे दुनिया से कोई मतलब ही न हो। वह सुइयों के दर्द से चिढ़ी हुई थी। दूसरे दिन वही सर फिर आए। इस बार उन्होंने उसकी माँ से पूछा, क्या हुआ इन्हें? कैसे बीमार पड़ीं? माँ ने विस्तार से सब बता दिया। सर बड़े शालीन थे, शांत और व्यवहारिक। वे सभी मरीजों से हँसी-मजाक करते, मरीजों को सहज महसूस कराते। लेकिन लड़की को तो उस समय सभी नर्सिंग स्टाफ से चिढ़ थी। उसके मन में अस्पताल, डॉक्टरों और उनकी सुइयों के लिए गुस्सा भरा था। वह मन ही मन उस वैज्ञानिक को भी खूब कोसती खुद तो चले गए महानुभव, मेरे जैसे छोटे छोटे बच्चों की जान मुसीबत में डाल गए ये सुईयाँ बनाकर आने दो ऊपर मुझे भी, आपको 500 सुईयाँ एक साथ लगाऊंगी तब पता चलेगा आपको दर्द का। तीसरे दिन लड़की के पिता ने बातों बातों में सर को बताया कि उनकी बेटी लेखिका है। लड़की



ने भी अपनी किताबों की तस्वीरें दिखाई। सर प्रभावित हुए और उन्होंने लड़की की तारीफ भी की। लड़की को लगा, सर सिर्फ सहानुभूति जता रहे हैं, उन्हें लेखन में कोई रुचि नहीं होगी? लेकिन जब किसी कारण से उसने सर से उनका नंबर लिया और उन्होंने अपनी स्पंदन नामक किताब में छपी कहानियों की दो तस्वीरें भेजीं, तो उनकी कहानियाँ उसे भीतर तक छू गईं। वह चकित रह गई—इतनी सुंदर और भावपूर्ण रचनाएँ! इतना सुंदर लेखन तो केवल एक अनुभवी लेखक ही कर सकते हैं। पहली कहानी हौसले की उड़ान एक प्रेरणादायक कहानी थी, जिसमें सरफराज नामक व्यक्ति की संघर्षपूर्ण यात्रा को दर्शाया गया है। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद, वह मेहनत और लगन से अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करता है। एक कठिन मोड़ पर उसकी मुलाकात अनिल अंबानी से होती है, जो उसकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने हेतु दस लाख का चेक एक साल बाद वापिस लेने की शर्त पर कर्ज स्वरूप सरफराज को देते हैं। इसी मोड़ पर कहानी में सर ने सरफराज के स्वाभिमान का बखूबी चित्रण किया था। सरफराज चेक तो ले लेता

है किंतु वह चेक के रुपयों को हाथ न लगाकर अपनी मेहनत से अपनी स्थिति को बदलने में सफल हो जाता है। एक साल बाद जब वह अनिल अंबानी को चेक वापिस करने जाता है तब उसे पता चलता है कि खुद को अनिल अंबानी बताने वाला वह शख्स एक पागल है और सबको अनिल अंबानी बताकर नकली चेक बांटता रहता है। यह कहानी आत्मविश्वास, परिश्रम और विपरीत परिस्थितियों में कभी हार न मानने की सीख देती है। दूसरी कहानी वुहान डायरी के रूप में COVID-19 महामारी के शुरुआती दिनों की भयावह स्थिति को दर्शाती है। इसमें लॉकडाउन, भय, वैज्ञानिक चेतावनी और मानवता की नासमझी को प्रभावी रूप से उकेरा गया है। सर ने महामारी के फैलने, मौतों और लोगों की लाचारी का मार्मिक चित्रण किया है। वैज्ञानिक प्रगति और प्रकृति से छेड़छाड़ के खतरों को उजागर करते हुए यह कहानी एक मजबूत संदेश देती है। संक्षेप में, यह एक चेतावनी है कि हमें विज्ञान और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। सर ने सरल और प्रभावशाली भाषा में कहानी को प्रस्तुत किया है, जिससे पाठक सहज ही घटनाओं की गंभीरता महसूस कर सकते हैं। उन्होंने महामारी के भय, वैज्ञानिक चेतावनी और मानवीय संवेदनाओं को संतुलित रूप से उकेरते हुए एक सशक्त लेखन शैली अपनाई है। दोनों कहानियाँ पढ़कर वह समझ गई कि यह सर सिर्फ एक चिकित्सा विशेषज्ञ नहीं, बल्कि एक संवेदनशील लेखक भी हैं। उसने मन ही मन उन्हें अपना गुरु मान लिया। जीवन में जिससे, जो कुछ भी सीखने को मिले, वही गुरु बन जाता है और लड़की ने ना सिर्फ उनकी रचनाओं को पढ़ा बल्कि उनमें छिपे भावों एवम् शब्दों को गहराई से समझा भी। कहते हैं ना कि हर

लिखी बात तो हर पढ़ने वाला समझ नहीं सकता क्योंकि लिखने वाला भावनाएं लिखता है और पढ़ने वाला केवल शब्द। लड़की सर की रचनाओं से काफी प्रभावित थी, खासकर उनके शब्दों के संयोजन और भावनाओं के तालमेल ने लड़की के मन पर गहरा प्रभाव डाला था। अब लड़की का गुस्सा उन सर पर नहीं रहा बल्कि अब तो वह उनकी फैन बन गई। वह उन्हें सर कहकर संबोधित करती थी। लड़की ने कई बार गौर किया कि वे सर सभी मरीजों से सभ्यता से बात करते, उनकी तकलीफ पूछते, उनसे मजाक करते और उन्हें अस्पताल में भी बिल्कुल घर की तरह सहज महसूस कराते। वे अनुभवी एवम् वरिष्ठ थे इसलिए सभी का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। इतने अनुभवी होने के बावजूद उनमें लेशमात्र भी अहंकार नहीं था। वे अपने काम को पूरी श्रद्धा और ईमानदारी के साथ निभाते थे। उनके इसी विनम्र स्वभाव के कारण लड़की उनका काफी सम्मान करती थी। लड़की का एक आखिरी टेस्ट बचा था—नर्व बायोप्सी। यह पहली बार था कि लड़की का कोई ऐसा टेस्ट होने वाला था, जिसमें उसकी नस काटी जानी थी। वह अंदर तक सहम गई थी। सर को जब यह पता चला, तो उन्होंने उसे सहज करने के लिए बहुत समझाया। कुछ नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा आपको, आप नाहक ही घबरा रही हैं। सर उससे काफी हँसी मजाक भी किए ताकि वो तनावमुक्त रहे पर फिर भी लड़की काफी डरी हुई थी। उसे हौसला देने के लिए सर ने मजाकिया अंदाज़ में कहा, आप तो लेखिका हैं, आपके तो बहुत प्रशंसक हैं, और हम डॉक्टर भी आपके फैन हैं। लड़की को यह सुनकर क्षणिक खुशी हुई, लेकिन डर अभी भी बरकरार था।



विदेशी मन ला समझाए खातिर,
डेलीगेशन भेजो इंखरे मन के।
ऐ मन हे बड़ सिद्ध अउ ज्ञानी,
कमाल देखाहीं कथा-प्रवचन के।।
नइ भेजे के मतलब इही हे,
तोला खुद बिस्वास नहीं हे।
साबित होंगे यहू बात हा,
ज्ञान इंखर मा खास नहीं हे।।

लक्ष्मी नारायण कुम्भकार सचेत दुर्ग (छ0ग0)

3 लाख के चावल की चोरी चोर पुलिस के पकड़ से बाहर लोगों में आक्रोश

अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ अनूपपुर

अनूपपुर /कोतमा। कोतमा क्षेत्र के देवगवा शासकीय उचित मूल्य दुकान से 3 लाख रुपए के चावल की चोरी किए जाने के मामले में 20 दिनों बाद भी दोषियों पर किसी प्रकार की कार्यवाही ना होने से नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अपने आप में हैरान करने वाली चोरी शुरू से ही संदिग्ध बताई जा रही है। लैंप्स प्रबंधक सुरेंद्र पांडे द्वारा 180 बोरी चावल कीमती लगभग 3 लाख रुपए की चोरी की शिकायत थाना भालूमाड़ा में दर्ज कराई गई है इतनी बड़ी मात्रा में

आसानी से चावल चोरी होना एवं चोरों द्वारा नया ताला भी लगाकर चले जाना लोगों की समझ से परे बताया जा रहा है मामले की जांच पुलिस एवं खाद्य विभाग के अधिकारी अलग अलग कर रहे हैं। इतने दिनों बाद भी कोई आरोपी ना बनाए जाने को लेकर नगर के नवल सराफ द्वारा जिला खाद्य अधिकारी को शिकायत कर कार्यवाही की मांग की गई है। जिसमें प्रथम दृष्टया प्रबंधक सुरेंद्र पांडे की भूमिका पर संदिग्ध प्रतीत हो रही है आरोप है कि पूर्व से ही विवादित सेल्समैन को प्रबंधक बनाना विभाग की साठगांठ को उजागर करता है।

भीमआर्मी मध्यप्रदेश का प्रदेशव्यापी आंदोलन – सतना से उठी बुलंद आवाज!



कैलाश कुमार - सह संपादक (युवा प्रदेश) आज दिनांक 22 मई 2025 को भीम आर्मी मध्यप्रदेश के प्रदेशव्यापी आंदोलन के आह्वान पर सतना ज़िले में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। की यह आंदोलन केवल एक प्रतिमा की स्थापना नहीं, बल्कि संविधान, न्याय और सामाजिक सम्मान के प्रतीक बाबा साहब के विचारों को न्यायालय परिसर में स्थान देने की माँग है। भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी सतना जिले के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।